19 9/23 वकील प्रार्थी उपस्थित ... जारी है। पत्रावली दिनांक 19/10/2023 को पेश हो।

19 10/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 28/11/23 को पेश हो।

28/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 6/2/24 को पेश हो।

प्रा0 पत्र 290/2023

उदाराम बनाम भूमिधारी वगै0

6/2/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बकिया अप्रार्थीगण के विरूद्व पूर्व में ही एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 775 रकबा 1.11 हैक्ट. ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का तहसीलदार जी के आदेश से 23.05.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व नृसिंहपुरी पटवार हल्का नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 775 रकबा 1.11 हैक्ट प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज०)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नृसिंहपुरी पटवार हल्का नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 775 रकबा 1.01 हैक्ट. का प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार [redacted] को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।